संख्या-43/2019/1080ई-2/तेरह-2019-413/87

प्रेषक,

कृत्तिका ज्योत्स्ना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. आबकारी आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 22 मई, 2019

विषयः- बार अनुज्ञापनों के संबंध में संशोधित नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-3399-ई-2/तेरह-413/87, दिनांक 20 जनवरी, 1988 तथा शासनादेश सं0-1730-ई-2/तेरह-94-413/87, दिनांक 29 अप्रैल,1994 एवं शासनादेश सं0-2658-ई-2/तेरह-2001-407/98, दिनांक 18 सितम्बर, 2001 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए बार अनुज्ञापनों की नीति निर्धारण हेतु पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के अतिरिक्त निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक रूप से कराये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

1. मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही बार अनुज्ञापन हेतु अपनी संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जाए कि संबंधित होटल/रेस्टोरेन्ट कार्यालय क्षेत्र अथवा आवासीय क्षेत्र में संचालित नहीं है।

2. बार, मॉडल शॉप्स एवं देशी मदिरा के अनुज्ञापनों पर शस्त्र ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाए। इस हेतु **"अनुज्ञापन परिसर में शस्त्र लाना पूर्णतया वर्जित है"**, अंकित करते हुए बार, मॉडल शॉप्स एवं देशी मदिरा के अनुज्ञापन परिसरों में पोस्टर लगाना अनिवार्य किया जाए।

2- कृपया शासन द्वारा लिए गए उक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीया,

(कृत्तिका ज्योत्स्ना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in